# फर्द अहकाम

## कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

**प्रार्थी : श्री भंवरलाल** | **विपक्षी : श्री राज्य**

**किस्म मुकदमा – 131 भू.रा. अधिनियम** | **पत्रावली संख्या : 109/22**

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|

दिनांक : 09.05.2023

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प मावली में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल फाईल हैं। रेकार्ड पर लिया जाता हैं। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को ही बहस मानी जाने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया। प्रार्थी के अनुसार आराजी नम्बर 4152/1556 को सम्वत् 2023 के नक्शे से हटा दिये जाने से पुनः तरमीम किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा जिला अभिलेखागार विभाग से जारी सेटलमेन्ट की नक्शा शीट की प्रतिलिपि, पटवार मण्डल पर उपलब्ध सेग्रीगेशन शीट एवं सेग्रीगेशन से पूर्व की लट्ठा शीट में भिन्नता होना बताकर आराजी नम्बर 4152/1556 पर प्रार्थी एवं अन्य खातेदार प्रार्थी द्वारा पेश नक्शा शीट अनुसार मकान/दुकान बनाकर निवासरत होना बताकर नक्शे में तरमीम किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। चूंकि प्रकरण में प्रथम दृष्टया मौके पर मकान/दुकान होने का तथ्य रिपोर्ट से ज्ञात हुआ हैं। प्रार्थी द्वारा आराजी नम्बर 4152/1556 को राजस्व नक्शें में पुनः तरमीम किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

### :: आदेश ::

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू.रा.अ. का स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली की आराजी नम्बर 4152/1556 को आराजी नम्बर 1556 व 4151/1556 के मध्य में एवं आराजी नम्बर 1556 को जिला अभिलेखागार से जारी नक्शा शीट अनुसार तहसीलदार मावली से प्रस्तावित नक्शे अनुसार वर्तमान नक्शें में तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किया जाने हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 14:[illegible]
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली